

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2768
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)

2768 श्री संजय सिंह:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 23 अगस्त, 2010 से पूर्व नियुक्त ऐसे प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनके लिए वर्तमान में 31 अगस्त, 2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अपेक्षित है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे शिक्षकों की संख्या का आकलन किया है जिनकी सेवा 15 से 30 वर्ष से अधिक है और यदि वे 31 अगस्त, 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति संकट में पड़ सकती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए छूट की मांग करते हुए शिक्षक संघों तथा राज्य सरकारों से मंत्रालय को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या 23 अगस्त, 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को संरक्षित करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है। दिनांक 23.08.2010 से पहले नियुक्त उन शिक्षकों के बारे में जानकारी जिसमें ऐसे शिक्षकों की संख्या शामिल है जिन्हें 31.08.2028 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की योग्यता हासिल करनी है—संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा रखी जाती है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.09.2025 के अपने निर्णय के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवस्था दी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 23 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है, और अधिनियम के तहत कवर किए गए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि पात्र शिक्षक निर्णय में

निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित टीईटी योग्यता प्राप्त करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2018/36466/36466_2018_9_1501_63764_Judgement_01-Sep-2025.pdf

इसके बाद, मामले में पुनर्विचार याचिकाओं का निपटान करते हुए, दिनांक 29.05.2026 के निर्णय के माध्यम से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा 31.08.2027 से बढ़ाकर 31.08.2028 कर दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि संबंधित समुचित सरकारों/प्राधिकारियों को समय-समय पर, अधिमानतः प्रत्येक वर्ष दो बार, क्रमिक परीक्षाओं के बीच लगभग छह माह के अंतराल के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि पात्र शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अनुपालन करने का उचित अवसर मिल सके। दिनांक 29.05.2026 के निर्णय को निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53434/53434_2025_7_1501_71637_Judgement_29-May-2026.pdf

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अधिनियमन से पहले भर्ती किए गए सेवाकालीन शिक्षकों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया और निदेश दिया कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा पांच वर्ष से कम है, दिनांक 01.09.2025 के निर्णय की तारीख तक, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की योग्यता प्राप्त किए बिना, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक सेवा में जारी रह सकते हैं। माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे निर्धारित टीईटी योग्यता प्राप्त नहीं कर लेते।
